राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ4(4)/ग्रावि/नरेगा/सा.अकें./2009–10 जयपुर, दिनांक 19/11/

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान

विषयः आम जनता को निर्माण कार्यों की सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 07.11.09 को समस्त प्रमुख शासन सचिव एवं मुख्य सर्तकता अधिकारियों की बैठक में लिये गये निर्णय एवं मुख्य सचिव महोदय के पत्र कमांक पीएस/पीएसआरडीपीआर/2009 दिनांक 11.11.09 के सन्दर्भ में लेख है कि नरेगा योजनान्तर्गत करवाये गये व करवाये जा रहे समस्त कार्यों की सूचना आम जनता को उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सहज दृष्टया से दिखने वाली दीवार पर लिखवाने के निर्देश दिये है।

इस संबन्ध में इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक एफ4(4)/ग्रावि/नरेगा/ग्रुप–3/सा.अंके./2009 दिनांक 20.04.09 एवं दिनांक 14.09.09 द्वारा समस्त जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समनव्यकों को नरेगा योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो की सूचना आम जनता को उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सहज दृष्टया से दिखने वाली दीवारों पर लिखवाने के निर्देश दिये गये थे, उक्त आदेशों की प्रति पुनः संलग्न हैं।

अतः समस्त जिला कार्यकम समन्वयकों को निर्देश दिये जाते है कि मुख्य सचिव महोदय के आदेश (प्रति संलग्न है) व इस विभाग द्वारा इस संबन्ध में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर